

पत्र संख्या:-15/सी 2-163/2015-1128
शिक्षा विभाग, बिहार

प्रेषक,

कमलेश झा,
उप निदेशक(उच्च शिक्षा)

फैक्स/ई-मेल/स्पीड पोस्ट

सेवा में,

कुलसचिव,
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।

पटना, दिनांक.....16/6/2015


विषय:- सी०डब्लु०जे०सी० संख्या 6065/2015 जर्नादन प्रसाद सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य से सम्बन्धित तथ्यात्मक विवरणी भेजने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी०डब्लु०जे०सी० संख्या 6065/2015 जर्नादन प्रसाद सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में भविष्य निधि की राशि पर ब्याज के भुगतान का दावा किया गया है। यह मामला आपके विश्वविद्यालय से संबंधित है।

अतः उक्त वाद में विश्वविद्यालय द्वारा दायर की गयी तथ्यात्मक विवरणी/प्रतिवेदन एक सप्ताह के भीतर विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए, ताकि मामले में विभाग के स्तर से प्रतिशपथ पत्र दायर किया जा सके। अंकनीय है कि विभाग द्वारा विश्वविद्यालय को वेतनादि/पेंशनादि मद में पर्याप्त राशि विमुक्त की जाती रही है।

विश्वासभाजन,


उप निदेशक(उच्च शिक्षा)
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना
राजेश